

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17 / विविध 1-259 / 2023

पटना, दिनांक- / / 2026

डा० चचल, सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि) सम्प्रति सह-प्राध्यापक, स्त्री रोग एव प्रसव विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा को बिहार सेवा सहिता के नियम-78(क) (2) के आलोक में नये पद पर नियुक्ति के उपरान्त पूर्व पद (सह-प्राध्यापक, सविदा-BIIS) पर प्राप्त वेतन रू० 1,26,800/- (एक लाख छब्बीस हजार आठ सौ) को वेतन स्तर-11 में सरक्षित करते हुए निम्नवत् वेतनमान अनुमान्य किया जाता है -

(i) रू० 1,26,300/- (एक लाख छब्बीस हजार आठ सौ) का प्रक्रम नये पद (सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि)), वेतन स्तर-11 में उपलब्ध नहीं है। अत इससे ठीक नीचे का प्रक्रम रू० 1,26,300/- (एक लाख छब्बीस हजार तीन सौ) में वेतन निर्धारित होगा तथा दोनों वेतनों के अंतर राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन इन्हे अनुमान्य होगा।

(ii) डा० चचल के अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि-01.07.2023 होगी।

2 उक्त में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


ज्ञापक :- 17 / विविध 1-259 / 2023 - 453 (17) पटना, दिनांक :- 17/04/2026

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० चचल, सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि) सम्प्रति सह-प्राध्यापक, स्त्री रोग एव प्रसव विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।